(कायदा 129)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 28/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00022

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री बीजराज सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हीर सिंह राजपुरोहित मालिक/विक्रेता मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड पुराना बस स्टेण्ड परतापुर जिला बॉसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 30–10–2020 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड पुराना बस स्टेण्ड परतापुर पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री बीजराज सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हीर सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक स्टील की ट्रे में करीब 5 कि0ग्रा0 मावा आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखी करीब 5 कि0ग्रा0 मावा मे से 1 कि0ग्रा0 वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की ट्रे में खरीदा तथा इनकी कीमत 340 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 1 कि0ग्रा0 मावा को अच्छी मिलाकर, सुखे व साफ खाली कॉच के जारों में बराबर-बराबर (प्रत्येक मे करीब 250 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक में डालकर और ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना ... से एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/273 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 233 दिनांक 05.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **मावा** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा खाध विश्लेषक की रिर्पोट के विरुद्ध अपील अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर नमूने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे को पुनः जॉच हेतु भिजवाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक 129–30 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/33/21/79/2021 दिनांक 04.02.2021 के अनुसार नमूना मावा **सबस्टेण्डर्ड** पाया गया है। चुंकि नियमानुसार रेफरल फुड लेबोरेट्री से जॉच रिर्पोट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा **मावा सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 05.07.2021 को अभियुक्त **श्री बीजराज सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हीर सिंह राजपुरोहित** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे के विश्ले[illegible]फिकेट नं.RFL/DO/33/21/79/2021 दिनांक 04.02.2021 के अनु[illegible] है। चुंकि नियमानुसार रेफरल फुड लेबोरेट्री से जां[illegible]ण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरतारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया मावा को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री बीजराज सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हीर सिंह राजपुरोहित मालिक/विक्रेता मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड पुराना बस स्टेण्ड परतापुर जिला बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner